

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० :143/2018

अनवान :

1. नरेश कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. भूपसिंह पि०मु० सुन्दर जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
 2. राजेश
 3. गुड्डीदेवी
 4. राजबाला
 5. चमेली
 6. सरबती
 7. मीरां
- पुत्र-पुत्रियां भूपसिंह जाति जाट निवासीगण करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955
उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : वादी
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 22.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 185/216 के खसरा नं. 385 की 5.0710 हैक्टर, खसरा नं. 388 की 2.4030 हैक्टर कुल 7.4740 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह की 100-1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा करनपुरा बारानी के ही खाता सं. 186/183 के खसरा नं. 86 की 6.0700 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 187/359 के खसरा नं. 48 की 0.6200 हैक्टर, खसरा नं. 51 की 1.6310 हैक्टर, खसरा नं. 84 की 20.2340 हैक्टर, खसरा नं. 286 की 14.9610 हैक्टर कुल 37.4460 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 887 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता संख्या 188/184 के खसरा नं. 46 की 1.8080 हैक्टर, खसरा नं. 47 की 2.9470 हैक्टर, खसरा नं. 50 की 2.0990 हैक्टर, खसरा नं. 87 की 4.6290 हैक्टर कुल 11.4830 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा, चक 3 केआरपी के खाता संख्या 22/99 मु.न. 81 के किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 1.2650 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी प्रत्येक चक संलग्न वाद है जिससे साफ रोशन है। यही बिनाय दावा है।

वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 भूपसिंह को ऊपर वर्णित कृषि भूमि पि०मु० सुन्दर से विरासतन प्राप्त हुई है। पक्षकारान दावा संयुक्त हिन्दु परिवार है एवं दावा में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपाशर्नरी सम्पति है जो पीढी दर पीढी प्राप्त होती रहती है।

R/w
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

0700 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खता सं. 187/359 के खसरा नं. 48 की 0.6200 हैक्टर, खसरा नं. 51 की 1.6310 हैक्टर, खसरा नं. 84 की 20.2340 हैक्टर, खसरा नं. 286 की 14.9610 हैक्टर कुल 37.4460 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 887 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता संख्या 188/184 के खसरा नं. 46 की 1.8080 हैक्टर, खसरा नं. 47 की 2.9470 हैक्टर, खसरा नं. 50 की 2.0990 हैक्टर, खसरा नं. 87 की 4.6290 हैक्टर कुल 11.4830 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा, चक 3 केआरपी के खाता संख्या 22/99 मु.न. 81 के किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 1.2650 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 185/216 के खसरा नं. 385 की 5.0710 हैक्टर, खसरा नं. 388 की 2.4030 हैक्टर कुल 7.4740 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह की 100-1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा करनपुरा बारानी के ही खाता सं. 186/183 के खसरा नं. 86 की 6.0700 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 187/359 के खसरा नं. 48 की 0.6200 हैक्टर, खसरा नं. 51 की 1.6310 हैक्टर, खसरा नं. 84 की 20.2340 हैक्टर, खसरा नं. 286 की 14.9610 हैक्टर कुल 37.4460 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 887 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता संख्या 188/184 के खसरा नं. 46 की 1.8080 हैक्टर, खसरा नं. 47 की 2.9470 हैक्टर, खसरा नं. 50 की 2.0990 हैक्टर, खसरा नं. 87 की 4.6290 हैक्टर कुल 11.4830 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा, चक 3 केआरपी के खाता संख्या 22/99 मु.न. 81 के किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 1.2650 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज है उक्त आराजी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 3 ता 7 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं० 3 ता 7 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादी नरेश कुमार व प्रतिवादीगण भूपसिंह व राजेश को 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा जिला हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :143/2018

अनवान :

1. नरेश कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

बनाम

1. भूपसिंह पि०मु० सुन्दर जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
 2. राजेश
 3. गुड्डीदेवी
 4. राजबाला
 5. चमेली
 6. सरवती
 7. मीरां
- पुत्र-पुत्रियां भूपसिंह जाति जाट निवासीगण करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- वादी

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री विनोद पुनियो एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता संख्या 185/216 के खसरा नं. 385 की 5.0710 हैक्टर, खसरा नं. 388 की 2.4030 हैक्टर कुल 7.4740 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह की 100-1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा करनपुरा बारानी के ही खाता सं. 186/183 के खसरा नं. 86 की 6.0700 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 187/359 के खसरा नं. 48 की 0.6200 हैक्टर, खसरा नं. 51 की 1.6310 हैक्टर, खसरा नं. 84 की 20.2340 हैक्टर, खसरा नं. 286 की 14.9610 हैक्टर कुल 37.4460 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 887 हिस्सा एवं करनपुरा बारानी के खाता संख्या 188/184 के खसरा नं. 46 की 1.8080 हैक्टर, खसरा नं. 47 की 2.9470 हैक्टर, खसरा नं. 50 की 2.0990 हैक्टर, खसरा नं. 87 की 4.6290 हैक्टर कुल 11.4830 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/2 हिस्सा, चक 3 केआरपी के खाता संख्या 22/99 मु.न. 81 के किला नं. 17 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 1.2650 हैक्टर में प्रतिवादी भूपसिंह का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज है उक्त आराजी के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 3 ता 7 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं० 3 ता 7 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् वादी नरेश कुमार व प्रतिवादीगण भूपसिंह व राजेश को 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...22.1.19..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़